न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

प्रकरण संख्या – 38/2024

1. मोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद फुलका तहसील सिरसा जिला सिरसा।

–अपीलान्ट

1. सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल फौत

1/1 रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

1/2 बलवंत पुत्र सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

1/3 शिवभगवान पुत्र सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

1/4 गिरदावरी पुत्री सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

1/5 गिता पुत्री सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

1/6 तारा पुत्री सोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री नेरन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण।

निर्णय दिनांक :– 19/03/2026

अपीलांट मोहनलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद फुलका तहसील सिरसा जिला सिरसा द्वारा तहसीलदार नोहर के नामान्तरण संख्या 1332 दिनांक 28.02.06 रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खसंरा नं. 1466/383 व खसरा नं. 1488/392 की भूमि के विभाजन किया को निरस्त करवाने बाबत अपील पेश की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं –

1. अपीलाधीन नामान्तरण ओदश दिनांक 28.02.06 व नामान्तरण संख्या 1332 जो कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खसरा नं. 1466/383 की 50 बीघा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खसरा नं. 1488/392 की 8 बीघा का गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया जो अपास्तनीय हैं।

2. राजस्व अभियान सन 2006 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद भूमि का खाता विभाजन अपने हिसाब से विभाजित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मातहत अदालत के समक्ष अपीलांट फर्जी अंगुठे लगाकर वाद भूमि तकासमा करवा लिया तथा अच्छी किस्म की भूमि अपने नाम दर्ज करवाली । वह रेतीले टिलों की भूमि मुझ अपीलांट को दे दी तथा विभाजन में खसरा नं. 1466/383 की भूमि का विभाजन पूर्व पश्चिम करवाया था तथा खसरा नं. 1488/392 की भूमि का विभाजन उत्तर से दक्षिण करवा लिया था जबकि गलत किया था । उक्त विभाजन विधि के विरूद्व पारीत किया गया हैं क्योकि खाता विभाजन करते समय मुझ अपीलांट की सहमति आवश्यक थी जबकि मुझ अपीलांट की जगह ग्राम प्रशासन के संग अभियान में अन्य दिगर व्यक्ति को खडा करके अपीलांट/ प्रार्थी के स्थान पर उसके अंगुठा करवा लिये तथा फर्जी तौर से वाद भूमि का खाता विभाजन करवा लिया जबकि प्रार्थी / अपीलांट वर वक्त खाता विभाजन वह अभियान में था ही नहीं । प्रार्थी / अपीलांट के अंगूठे फर्जी लगाये गये हैं प्रार्थी / अपीलांट वर वक्त विभाजन ग्राम फुलका तहसील व जिला सिरसा में रहता है। वही उसके वोटर आईडी व परिवार कार्ड बने हुए हैं। इसलिए प्रार्थी/ अपीलाींट की बिना किसी सहमति के उक्त विभाजन करवाया गया है। इसलिए खाता विभाजन का उक्त अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) ★

3. उक्त भूमि का विभाजन विधि विरूद्व तरीके से फर्जी हस्ताक्षर करके करवा लिया तथा इसके साथ नामान्तरण संख्या 1333 में खसरा नं. 289, 390/2 की भूमि का भी विभाजन करवाया था जो कि गलत करवाया लिया। नोहर आकर निरस्त बाबत अपील पेश करने आया तब मेरे वकील ने गलती से नामन्तरण संख्या 1333 को खारीज करवा दिया लेकिन 1332 की अपील नहीं की जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। हमारी अपील स्वीकार करके नामान्तरण संख्या 1333 निरस्त कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा लिख जिसके अनुसार उन्होने अपनी गलत मान ली और हमारे हितों को स्वीकार कर लिया तथा राजीनामा भी लिख दिया लेकिन वकील की गलती के कारण नामान्तरण सं. 13[illegible] निरस्त होने से रह गया जिसका हमें 5–6 दिन पहले ज्ञान हुआ क्योंकि [illegible]न्ट ने हमें धमकी दी कि मैं आपको भूमि से बेदखल करूगा तथा इस भूमि [illegible] डिग्गी व मकान बनाउगां तब नकल लेकर यह अपील पेश कर रहा हु जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

4. अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध उक्त विभाजन करवाया गया हैं अपीलांट हरियाण राज्य में रहता हैं उसे विभाजन की कोई सूचना नहीं दी गई तथा ना ही उसे अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान की कोई सूचना नहीं थीं इसलिए उक्त अपीलाधीन नामान्तरण बिना किसी सुनवाई के नैसर्गिक न्याय के विरूद्व है व अपास्तनीय है।

5. अपीलांट ने फर्जी अगूठे लगाकर अपीलाधीन नामान्तरण करवाया है। खाता विभाजन का प्रार्थना पत्र दिये जाने के वक्त व तहसीलदार द्वारा खाता विभाजन की सहमति प्रपत्र भरने के वक्त विभाजन का उक्त नक्शा के वक्त किसी अन्य दिगर को अपीलांट की जगह खडा करके फर्जी अंगूठे करवाये गये है जो अपीलांट के नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थीं ।
अपीलांट अनपढ व्यक्ति हैं तथा हरियाणा राज्य में रहता है तथा बिना सुनवाई के तथा बिना जानकारी के अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा ली हैं। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय हैं।

6. अपील अपीलांट न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.06 व नामान्तरण संख्या 1332 बअदालत तहसीलदार नोहर अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित हुयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने बाबत निवेदन किया ।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण संख्या 1332 दिनांक 28.02.06 रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खसरा नं. [illegible]/383 व खसरा नं. 1488/392 की भूमि का विभाजन तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1332 में विभाजन करते समय अपीलांट को बिना सुनवाई के तस्दीक किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 38/2024 अनवान मोहनलाल बनाम सोहनलाल आदि

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1332 दिनांक 28.02.06 रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खसरा नं. 1466/383 व खसरा नं. 1488/392 की भूमि का विभाजन को अपास्त की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती हैं कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न होकर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:09 IST
Reason: SelfAttested